

## **NATIONAL HOUSING BANK**

**New Delhi, the 9<sup>th</sup> February, 2016**

**Notification No. NHB.HFC.NCD-DIR.3/MD&CEO/2016** - In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely -

### **1. Amendment to Paragraph 5**

In paragraph 5 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, sub-paragraph (2) shall be substituted by the following, namely:-

“(2) The housing finance company should have minimum credit rating of moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations.”

Sriram Kalyanaraman  
Managing Director & Chief Executive Officer

# राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.एनसीडी-निर्देश.3/एमडीएंडसीईओ/2016 – राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2014, तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा :-

## 1. अनुच्छेद 5 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 5 में उप-अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(2) आवास वित्त कंपनियों के पास वित्तीय दायित्वों के समय पर शोधन के संबंध में सामान्य श्रेणी की सुरक्षा की न्यूनतम ऋण पात्रता रेटिंग होनी चाहिए।”

श्रीराम कल्याणरामन  
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी